संख्या-29/2018/374/59-2-2018-13(खा)/2017टी.सी.

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
लखनऊ।

2- निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 21 मई, 2018

विषय- पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1/खा0ग्रा0बो0/मु0मं0ग्रा0रो0यो0/पत्रावली सं0-201/2017-18, दिनांक 06.04.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों का शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गॉव में ही उपलब्ध कराने एवं 'एक जनपद एक उत्पाद' योजनान्तर्गत स्थापित उद्योगों को नवीन तकनीक के साथ-साथ उनकी वित्तीय एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के निहितार्थ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना की संरचना की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तपोषित/स्थापित इकाईयों को ब्याज उपादान की सुविधा अनुमन्य की जायेगी, जिसके अन्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में तीनों एजेन्सियों क्रमशः जिला उद्योग केन्द्र, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग तथा उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रायोजित समस्त ग्रामीण इकाईयां आच्छादित होंगी। पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान वित्तीय वर्ष से क्रियान्वित होगी।

2- <u>योजना की विशेषताएं</u>

- पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना उत्तर प्रदेश के जनपदों में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी।
- उक्त योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की वित्तपोषित इकाईयों को परियोजना लागत से मार्जिनमनी सब्सिडी एवं उद्यमी अंशदान को घटाने के बाद अवशेष ऋण धनराशि पर ब्याज उपादान (अधिकतम 13 प्रतिशत तक) की सुविधा ऋण के प्रथम वितरण की तिथि से तीन वर्षों तक प्रदान की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में लागत अधिक होने से सामान्यत: इकाईयां बीमार हो जाती है तथा रोजगार प्रदान नहीं कर पाती है। इस योजना के द्वारा ऐसी सम्भावनाओं से निजात मिलेगी तथा भविष्य में स्थापित इकाईयाँ सुदृढ़ होगी एवं रोजगार की सम्भावना बेहतर होगी।
- योजनान्तर्गत समस्त संगत प्रक्रियाऐं चालू वित्तीय वर्ष से ऑनलाइन की जायेगी।

3- योजना हेतु अनिवार्य पात्रता

- प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों के स्वीकृत/वितरित ऋण के बाद ही इकाईयाँ इस योजना के अन्तर्गत ब्याज उपादान हेतु पात्र होंगी।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत परियोजनाओं पर ब्याज उपादान देय होगा।
- भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार हेतु संचालित लाभार्थीपरक किसी योजना में ब्याज उपादान में लाभ प्राप्त व्यक्ति इस योजना का पात्र नहीं होगा।

4- ब्याज उपादान प्राप्त करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज **:-**

उक्त योजनान्तर्गत इकाई को मिलने वाली ब्याज उपादान की धनराशि क्लेम किये जाने हेतु वित्तपोषक बैंक द्वारा निम्नानुसार प्रपत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

i. प्रायोजक एजेन्सी का फारवर्डिंग लेटर।
ii. वित्तपोषक बैंक द्वारा इकाई का ऋण स्वीकृति पत्र।
iii. इकाई के ऋण खाते का अद्यतन बैंक स्टेटमेंट।
iv. टर्म डिपाजिट रिसीट (टीडीआर) से सम्बन्धित अभिलेख।
v. ब्याज उपादान दावा पत्रक निर्धारित प्रारूप पर।
vi. बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा इकाई की निरीक्षण रिपोर्ट।
vii. लाभार्थी के साथ उद्यम कार्यस्थल का फोटोग्राफ।

5- ब्याज उपादान के भुगतान की प्रक्रिया**-**

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नोडल बैंक से उद्यमी को दी जाने वाली मार्जिनमनी (अनुदान) की धनराशि प्राप्त होने के पश्चात बैंक द्वारा कुल परियोजना लागत में मार्जिनमनी की धनराशि एवं लाभार्थियों के अंशदान को घटाते हुए शेष ऋण धनराशि पर बैंक द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की धनराशि का प्रत्येक छमाही ब्याज उपादान क्लेम जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। तत्पश्चात् ब्याज उपादान क्लेम की धनराशि लेखा परीक्षक से जांचोपरान्त भुगतान किये जाने वाली धनराशि का बिल पारित करते हुए एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे लाभार्थी के पक्ष में बैंक को हस्तांतरित किये जाने हेतु कोषागार को प्रेषित किया जायेगा। पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना अन्तर्गत ब्याज उपादान की अधिकतम सीमा 13% से अधिक नही होगी। इस योजना के अन्तर्गत इकाईयों को ब्याज उपादान की धनराशि का भुगतान प्रत्येक छ: माह पर किया जायेगा तथा भुगतान की सूचना सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा लाभार्थी एवं बैंक को भी 7 दिन के अन्दर प्रदान की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- <u>योजना के संचालन हेतु प्रक्रिया</u>

पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निर्धारित लक्ष्यों तथा इकाई की संख्या एवं पूंजीनिवेश को दृष्टिगत रखते हुए आकलित ऋण धनराशि [परियोजना लागत - (मार्जिन मनी अनुदान + उद्यमी अंशदान)] पर अधिकतम 13% की दर से ब्याज उपादान की मांग शासन से की जायेगी। शासन से योजनान्तर्गत प्राप्त बजट की फांट जनपद के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए सम्बंधित जिलाधिकारियों को प्रेषित की जायेगी। उक्त योजनान्तर्गत जनपद के मुख्य विकास अधिकारी आहरण/वितरण अधिकारी होंगे।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्राप्त समस्त अभिलेखों के आधार पर पत्रावली तैयार की जायेगी। प्राप्त दावा पत्रक का परीक्षण एवं इकाई के स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त बैंक द्वारा क्लेम किये गये ब्याज उपादान के बिल व अन्य अभिलेखों (बिन्दु संख्या-4 में उल्लिखित) की जांच लेखा परीक्षक से कराने के पश्चात् ब्याज उपादान भुगतान किये जाने की कार्यवाही एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से 15 दिन के भीतर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कराना सुनिश्चित करेंगे।

7- <u>ब्याज उपादान का लाभ किन परिस्थितियों में देय नही होगा</u>

योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तपोषित/स्थापित इकाईयों को ब्याज उपादान का लाभ निम्नलिखित परिस्थितियों में देय नही होगा :-

- यदि उद्यमी ने ऋण का दुरूपयोग किया हो।
- यदि उद्यमी ने प्रोजेक्ट का कार्य पूरा नही किया और जान-बूझकर चूक कर रहा हो।
- यदि इकाई उत्पादन/सेवा कार्य नही कर रही हो अथवा बन्द हो।
- अपवाद स्वरूप किसी भी दैवी आपदा/असामयिक दुर्घटना में उद्यमी की मृत्यु होने के कारण यदि उद्यमी का उद्योग प्रभावित होता है तो इसका परीक्षण सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु गठित कमेटी (डी0एल0टी0एफ0सी0) की संस्तुतियों के आधार पर उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

8- <u>इकाई कार्यरत न रहने पर ब्याज उपादान की वापसी</u>

उद्यमी द्वारा 03 वर्ष के अन्दर यदि उद्योग बन्द कर दिया जाता है या जान-बूझ कर ऋण धनराशि का दुरूपयोग किया जाता है अथवा इकाई का परियोजनानुसार स्थापना एवं संचालन नही किया जाता है तो ऐसी दशा में बैंकों द्वारा ऋण एवं प्रदत्त ब्याज उपादान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की वसूली प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर गठित टास्क फोर्स कमेटी के माध्यम से डिफाल्टर उद्यमी से की जायेगी।

कृपया उपरोक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

<u>संलग्नक</u>:- ब्याज उपादान दावा पत्रक का निर्धारित प्रारूप।

भवदीय,

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-2/2018/374(1)/59-2-2018 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा (आडिट-प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार, 3-इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम) मुम्बई-56
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- आयुक्त एवं उद्योग निदेशक, कानपुर नगर।
8- राज्य निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, लेखराज मार्केट, फैजाबाद रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
9- संयोजक, स्टेट लेबल बैंकर्स समिति, बैंक आफ बडौदा, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से सभी बैंको को अवगत कराने का कष्ट करें।
10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
12- उप निदेशक, एन0आई0सी0 (प्रशासनिक भवन) ई-फ्लोर, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ।
13- समस्त जिला ग्रामोद्योग अधिकारी/परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड।
14- गोपन अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-4
15- खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-1
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत ब्याज उपादान दावा पत्रक

(सामान्य/आरक्षित वर्ग हेतु)

वित्तपोषक बैंक शाखा का नाम.....आई0एफ0एस0सी0कोड.....

उद्यमी का नाम व पता:-.....(i) टर्म लोन खाता संख्या.....

उद्यमी का पीएमईजीपी आई0डी0कोड:-..... (ii) कार्यशील पूंजी खाता संख्या.....

सेवा में,

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी,

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,

जिला.....।

महोदय,

मेरी शाखा द्वारा वित्तीय वर्ष.....में डी0आई0सी0/के0वी0आई0सी0/यू0पी0 के0वी0आई0बी0 द्वारा प्रायोजित पीएमईजीपी योजनान्तर्गत श्री.....को उद्योग.....की स्थापना हेतु प्रदत्त वित्तीय सहायता का विवरण निम्नवत् है:-

स्वीकृत ऋण का विवरण				ऋण के प्रथम किस्त भुगतान का विवरण		पीएमईजीपी योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान के टी0डी0आर0 का विवरण			
उद्यमी अंशदान	सावधि ऋण	कार्यशील पूंजी	योग	धनराशि	दिनांक	धनराशि	टी0डी0आर0 संख्या	दिनांक	टी0डी0आर0 अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ब्याज उपादान मांग का विवरण**:-**

क्रमांक	ऋण मद	धनराशि	ब्याज उपादान धनराशि की मांग		
			अवधि	दर	धनराशि
1	पूंजीगत				
2	कार्यशील पूंजी				
3	योग				

हम प्रमाणित करते है कि ब्याज उपादान की उक्त धनराशि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से ऋणदाता बैंक शाखा को इसके पूर्व प्राप्त नही हुई है।

अग्रिम रसीद

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जनपद..... से पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत ब्याज उपादान की धनराशि रू0.....दिनांक.....से दिनांक.....तक का उद्यमी श्री.....के पक्ष में प्राप्त किया।

उद्यमी के हस्ताक्षर एक रू0 के रसीदी टिकट पर
पूरा नाम, मोबाइल नम्बर सहित

शाखा प्रबन्धक के हस्ताक्षर

नाम, मोबाइल नम्बर व मुहर सहित

संलग्नक:-

1- प्रयोजक एजेन्सी (केवीआईसी/डीआईसी/केवीआईबी) का फारवर्डिंग लेटर 2. वित्तपोषक बैंक द्वारा इकाई का ऋण स्वीकृति पत्र 3. इकाई के बैंक ऋण खाते का अद्यतन स्टेटमेंट 4. शाखा प्रबंधक द्वारा इकाई का निरीक्षण रिपोर्ट 5. टीडीआर सम्बन्धी अभिलेख 6. लाभार्थी के साथ उद्यम कार्यस्थल का फोटोग्राफ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in